



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14122022-241064
CG-DL-W-14122022-241064

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1944
No. 26] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सहायक निदेशक, राजभाषा (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	23* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें स्नातक स्तर तक हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री	नहीं	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य; 3. निदेशक,	भर्ती करने में प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

स्तर पर हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर की डिग्री और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो। या किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न मास्टर की डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। अनुभव: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/कानूनी संगठन/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी शब्दावली (पारिभाषित कार्य) के प्रयोग/उपयोजन और अधिमानतः तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या विषय्येन, अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हों; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान				किया हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग से नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ग) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे	कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य; समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ----- अध्यक्ष 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ----- सदस्य 3. संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक, कार्मिक निदेशालय या मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -----	
---	--	--	--	---	--	--

अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा तक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी को छोड़कर किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पणी 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है या हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। मानक टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	सदस्य	
--	--	--	--	---	-------	--

				आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त		
--	--	--	--	--	--	--

				व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

[फा. सं. डीएचआरडी/76239/आरआरएस/एडी(ओएल)/सी/पी/02/1316/डी(आर एंड डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण:- हिंदी अधिकारी के लिए मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II खंड-4 के का.नि.आ. सं. 97, तारीख 07 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE**(Department of Defence Research And Development)**

New Delhi, the 7th December, 2022

S.R.O. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Assistant Director (Official Language) Group 'A' post Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Assistant Director, Official Language (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—Number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director (Official Language).	23* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'A' Gazetted, Ministerial).	Level-10 in the Pay matrix (Rs.56100-177500)	Selection.	Not exceeding 35 years (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the

					Central Government).
--	--	--	--	--	----------------------

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
7	8	9	10	11	12	13
Essential Qualification: Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of			By promotion failing which by deputation failing both by Direct recruitment.	Promotion: Senior Translator in Level-7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed training of one week as prescribed by the department. Deputation: Officers of the Central or State Government or Union territory administration: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (b) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (c) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already	Group 'A' Departmental Promotion Committee(for considering Promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission-Chairman; 2. Director General (Human Resource) Defence Research and Development Organisation - Member; 3. Director, Dte of Personnel or Director, Dte Human Resource Development, Defence Research Development Organisation - Member. Group 'A' Departmental confirmation Committee (for	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasions.

a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. Experience: Three years experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Body/Statutory Organisations/PSUs/universities or recognised research or educational institutions. OR Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Government or				completed such qualifying or eligibility service. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	considering confirmation) consisting of :- 1. Director General (Human Resource) Defence Research and Development Organisation - Chairman; 2. Director, Dte of Personnel or Director, Dte Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation - Member; 3. Joint Director/ Deputy Director, Dte of Personnel or Dte of Human Resource Development, Defence Research Development Organisation - Member.	
--	--	--	--	--	--	--

Autonomous Body or Statutory Organisations/ PSUs or Universities or recognised research or educational institutions. Desirable Qualification: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule to the constitution at 10th level from a recognised Board. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up						
--	--	--	--	--	--	--

the vacancies reserved for them.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

[F. No. DHRD/76239/RRs/AD(OL)/C/P/02/1316/D(R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note: - The Principal Rules for Hindi Officer was published in Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. No. 97 dated, the 7th Oct 2019.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2012 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है यह करने का लोप किया गया है उन बातों के सिवाय जो ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I के पद से संबंधित हैं, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह की संविदा की हो,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I	24* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क', राजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67700-208700 ₹)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती का पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 ₹.) में ऐसा भंडार अधिकारी श्रेणी-II जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष के लिए सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित 2 से 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. महानिदेशक (मानव संसाधन) अनुसंधान और विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ----- अध्यक्ष	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

		टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (561400-177500/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री (ii) तकनीकी भंडारों की खरीद या मांग एवं उनके रखरखाव या लेखा का 6 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ----- <u>सदस्य</u> 3. निदेशक या उप सचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय या निदेशक, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय ----- <u>सदस्य</u>	आवश्यक है।
--	--	---	---	------------

		विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	--

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/भंडार काडर/सी/पी/04/1315/डी(आरएंडडी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण— मूल नियम ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I, ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II, भंडार अधिकारी और ज्येष्ठ भंडार सहायक के पद के लिए का.नि.अ. सं. 94 तारीख 18 अक्तूबर 2012 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 7th December, 2022

S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of, the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012, in so far as they relates to the posts of Senior Stores Officer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Stores Officer Grade-I, Group 'A' post in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. Short, title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Stores Officer Grade-I, (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. Disqualifications.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing, in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Stores Officer Grade-I.	24* (2022) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'A' Gazetted), Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: —Senior Stores Officer Grade-II in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-) with five years service in the grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

			rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two to four weeks of training as prescribed by the department. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories. (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service rendered after appointment to the post on	General (Human Resource) Research and Development, Defence Research and Development Organisation – Chairman 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation - (Member) 3. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director, Armed Forces Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence – (Member)	
--	--	--	--	--	--

			regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing following educational qualification and experience; (i) Bachelor Degree from a recognised university or Institute. (ii) Possessing six years experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.		
--	--	--	--	--	--

			The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

[F. No. DHRD/16342/RRs/Store Cadre/C/P/04/1315/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

Foot Note.-The Principal Rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 Vide S.R.O. No.94. dated the 18th October 2012 for the post of Senior Store Officer Gde-I, Senior Store Officer Grade_II, Store Officer and Senior Store Assistant.